भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 408वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष

दिनांक एवं समय – 05 अक्तूबर, 2023 अपराह्न 03:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रोफेसर किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

407वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(संत श्री आशा राम जी आश्रम ट्रस्ट, दिल्ली (प्रबंधक द्वारा - श्री हरि भाई पुत्र श्री चंदन सिंह, आशा राम बापू का आश्रम कुंडेश्वरी रोड किला कॉलोनी जसपुर खुर्द तहसील-काशीपुर जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने भू खाता नंबर 01623, खसरा नंबर 270, 271, 272 मिन, कुल रकबा - 0.809 हेक्टेयर, मौजा-जसपुरखुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में कुल 07.50 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल + प्रथम तल के साथ जीएफ=1एफ=94.02 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(आयुक्त, नगर निगम, रोहतक, नगर निगम, रोहतक, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को स्वीकृति के लिए एएसआई से संपर्क करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया क्योंकि भूमिगत जल भंडारण टैंक के निर्माण का प्रस्तावित स्थल पुरातत्व स्थल, खाकरा कोट के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री चन्द्रशेखरराज कन्नन, नंबर 44/22, गांधी स्ट्रीट, न्यू पेरुंगलथुर, चेन्नई-600063 तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 493/11, पेरुंगलाथुर, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 11.96 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ= 2एफ = 99.55 वर्गमीटर, हैडरूम = 10.80 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की **सिफारिश** सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री थारुन, नंबर 51, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, रमना नगर, मदंबक्कम, चेन्नई - 600126 तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 701/3, मंदाम्बकरम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 11.73 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट = 1एफ= 2एफ = 48.86 वर्गमीटर, प्रस्तावित हैडरूम क्षेत्र = 9.94 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की **सिफारिश** सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्रीमती शनमुगा निरंजिनी, नंबर एस1, रॉयल ऑर्किड फ्लैट, राजराजेश्वरी नगर, राजकिलपक्कम, सेम्बक्कम, चेन्नई 600073, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्तावित निर्माण स्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र अर्थात मेगालिथिक कैर्न्स और सिस्ट्स में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 ए(4) के अनुसार किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामला संख्या 06

(श्री शिवशंकर थिरुनानसंबंदम (मालिक) थिरुनानसंबंदम (जीपीए), नंबर 38, आंदिपलायम, मनाल मेडु, नागप्पट्टिनम - 609202, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नंबर 787/16, मैडमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 10.40 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 1एफ= 117.46 वर्गमीटर, प्रस्तावित हैडरूम क्षेत्र = 11.65 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री जी.एस. महेंद्रन, ए7-401, अक्षय अडायर, पादुर, ओमर, चेन्नई - 603103, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी. नंबर 52, एस. नं. 163/1बी, ओट्टियांबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 9.14 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट,सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = 1एफ= 69.30 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: हैडरूम क्षेत्र = 9.76 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री चंद्रबाबू, ओ.के. नंबर 8/774ए, सीबीआई कॉलोनी एक्सटेंशन, दूसरी स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई - 600100, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 35/32, सिथलप्पाकम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 12.00 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ= 2एफ= 153.10 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र = 9.94 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री एस.एम. अरविन्द कुमार 2. श्री पवन सकलेचा, सुन्दरवरधराज पेरूमल सन्नथी स्ट्रीट, उथिरामेरुर टाउन और तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 10

(श्री थुराविल कृष्णमूर्ति गुरु, नंबर डी605, आकृति ऑर्किड पार्क, अंधेरी, कुर्ला रोड, साकीनाका, मुम्नै 400072, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 304/8, नानमंगलम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 9.00 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ= 109.16 वर्गमीटर, हैडरूम = 9.57 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री डी विजयकुमार, पुत्र दास, नंबर 254, कम्मावरपालयम, गोविंदवाडी कम्मावरपालयम, कांचीपुरम - 631502, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया क्योंकि स्थल योजना वास्तुविद् द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई नहीं है। तदनुसार आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद पुन: आवेदन प्रस्तुत करे।

मामला संख्या 12

(श्री रमेश नागराज और श्रीमती उषा रमेश, नंबर 5 कलाईगर कॉलोनी, दारासुरम, कुंभकोणम-612702, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 13

(श्री ए. जयचंद्रन, नं. 1/5, सन्नथी स्ट्रीट, निकटवर्ती ईश्वरन कोविल, मदमबक्कम, चेन्नई-126, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 579/2A1 और 581/2B, मदंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 10.66 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 132.85 वर्गमीटर, 1एफ= 111.39 वर्गमीटर, प्रस्तावित हैडरूम क्षेत्र= 11.61 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 14</u>

(श्री चंद्रू राजा, नंबर 13/6, तिरुवल्लुवर स्ट्रीट, पूर्वी तांबरम, चेन्नई 600059)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 577/3बी2, मदंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 9.44 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट = 1एफ= 2एफ= 53.50 वर्गमीटर, प्रस्तावित हैडरूम क्षेत्र = 9.92 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 15</u>

(श्री टी. विमल राज, नंबर 03, कामराजार स्ट्रीट, वसंधम नगर, विल्लियानूर कम्यून पंचायत, पुडुचेरी)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी. नंबर 31, एस. नंबर 224/6बी1सी, सेंधमंगलम गांव और पंचायत, उलुंदुरपेट, कल्लाकुरिची, तमिलनाडु में कुल 6.55 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल के साथ प्रस्तावित भूतल = 85.47 वर्गमीटर, खाली क्षेत्र = 67.87 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति

देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की **सिफारिश** सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 16</u>

(श्रीमती राजेश्वरी, नं. 63, 18वां क्रॉस स्ट्रीट, कक्किलांजवाडी, टी.बी.सेनेटोरियम, चेन्नई-47, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 382/1बी, थिरुनीरमलाई, पल्लावरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 6.67 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल के साथ भूतल = 68.46 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 31.86 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 17</u>

(श्री पी. चंद्र मोहन, एजी/2, ए1 ब्लॉक, थेनमोझी नगर, तीसरी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, ओआईडी पल्लावरम, चेन्नई - 600117, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नंबर 279/12H, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 10.67 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ मौजूदा भूतल = 1एफ = 175.46 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र = 19.60 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की **सिफारिश** सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 18</u>

(श्रीमती वी. यज्ञप्रिया, नंबर 21बी, पद्मावती नगर मेन रोड, विरुगापक्कम, चेन्नई - 600092, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 297/4ए3, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 9.98 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल = 1एफ = 134.14 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 19</u>

(श्री नवीन कुमार आर. एवं श्रीमती विद्यालक्ष्मी पी., प्लॉट नंबर 1ए, दरवाजा नंबर एएफ1, साई होम्स, श्री अंबल नगर 8वीं स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई 117, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी. नं.15(W), एस. नं. 70/1A2, कीलकट्टलाई, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 14.51 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित भूतल = 1एफ = 81.96 वर्गमीटर, प्रस्तावित 2एफ = 67.39 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र एवं लिफ्ट क्षेत्र = 15.42 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 20</u>

(श्रीमती योगप्रिया एन., डी.नं.9/1, रंगासामी स्ट्रीट, रानीपेट्टई, अट्टुउर, सेलम - 636102, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवेदक ने बिना पूर्व अनुमति के निर्माण किया है जिससे एएमएएसआर अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हैं।

<u>मामला संख्या 21</u>

(श्री धर्मेश्वरन पी., जी4, सिद्धार्थ अपार्टमेंट 44/23, नेलवायल रोड, पेरम्बूर, चेन्नई-600011, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी. नंबर 29, एस. नंबर 163ए/79, वंडालूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 12.50 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = 74.54 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 103.41 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: पोर्टिको क्षेत्र = 27.87 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र = 10.87 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 22</u>

(श्रीमती चित्रा एन., डी. नं. 9/1, रंगासामी स्ट्रीट, रानीपेट्टई, अट्टूर, सेलम-636102, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 23</u>

(श्री के. सेल्वाकुमार, नंबर 729, तिरुवत्थी अम्मन कोइल स्ट्रीट, तिरुकलीमेडु, कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने टी एस. नं. 2798/3सी और 2798/2ए3, डॉ. अंबेडकर नगर, के.टी.एस. मणि स्ट्रीट, राजाजी मार्केट के पास, कांचीपुरम, तमिलनाडु में कुल 8.99 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट तलक्षेत्र: = 40.89 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 37.05 वर्गमीटर, चारदीवारी = 6.36 आरएमटी तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित

निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 24</u>

(श्री आर. बालामुरुगन, 34/103ए, मलप्पुरम स्ट्रीट, श्रीविल्लीपुत्तूर, विरुधुनगर जिला-626125, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण पहले ही पूरा कर लिया है जो एएमएएसआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हैं।

<u>मामला संख्या 25</u>

(श्रीमती लक्ष्मी अम्माल वी, मेलमारुवथुर ग्राम चेय्यूर तालुक चेंगलपट्टू तालुक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 26</u>

(श्री एस वरथराजन, 32, संकराइकुलम स्ट्रीट, श्रीविल्लीपुत्तूर - 626125, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 802, एस. विरुधुनगर, तमिलनाडु में कुल 8.05 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 110.78 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 64.18 वर्गमीटर, 1एफ = 110.78 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 64.18 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 27</u>

(श्री टी. मुथुगनेश, 104/75, मलप्पुरम स्ट्रीट, श्रीविल्लीपुत्तूर-626125, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 09.15 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 28</u>

(श्री मणिकासुंदरम जी., एफ1, पहली मंजिल, वेंकटबालाजी अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 8, पोन्नियम्मन कोली स्ट्रीट, अलापक्कम, चेन्नई-600116, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 360/1डी3ए5, 360/3ए, गंगई कोंडा चोलपुरम, उदयरपालयम, अरियालुर में ब्लॉक 1 = 6.93 मीटर और ब्लॉक 2 = 6.10 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के साथ जीएफ (ब्लॉक-1) = 574.21 वर्गमीटर, जीएफ (ब्लॉक-2) = 366.40 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 1260.39 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 29</u>

(श्री अरावमुधु रामानुजम, 5 पेरुमल कोविल सन्नथी स्ट्रीट उथिरामेरुर-कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु-603406)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवेदक ने बिना पूर्व अनुमति के निर्माण किया है जिससे एएमएएसआर अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हैं।

<u>मामला संख्या 30</u>

(श्री रेव.फादर एस.ऑगस्टीन डेवाडोस (जीपीए), रेव्ह.फादर एस.जॉर्ज स्टीफन (जीपीए), श्री रेव. फादर जे. एंथोनी (जीपीए), दरवाजा नंबर 36, बुक्कथुराई-उथिरामेरुर रोड, बुक्कथुराई, पल्लियाग्राम गांव, मदुरंतगाम तालुक, चेंगलपट्टू जिला, 603107, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 14, पल्लियाग्राम, मदुरंतकम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 7.67 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 557.99 वर्गमीटर, चारदीवारी = 2.00 मीटर तलक्षेत्र के संस्थागत भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 31</u>

(श्री एस हरिदोस और श्री एस. अशोगन, नंबर 1/199ए, गंगई अम्मन कोइल स्ट्रीट, इंजंबक्कम, चेन्नई-600 041, नंबर 1/141, बजनई कोइल स्ट्रीट, इंजंबक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 419/4ए1ए2, पेरुंबक्कम, शोलिंगनल्लूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.05 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 187.47 वर्ग मीटर, छत तल = 11.89 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 32</u>

(श्री आनंद कुमार बंसल, खसरा नंबर 39(2-12-134) खाता/खतौनी नंबर 39/54, जमाबंदी 2015-16, वैका रकबा अमृतसर, शहरी सर्कल नंबर 109, आबादी पुल तांगा, कॉपर रोड, अमृतसर, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 12.30 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

<u>नए ऑफ़लाइन मामले</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्रीमती संतोषी कुमारी बी. पुत्री विश्वनाथ रेड्डी, यू-पंता रेड्डी, मकान नंबर 17-4-38, लक्ष्मी निवास, हेमा रेड्डी कॉलोनी गुम्पा, बीदर जिला-585403)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया क्योंकि स्थल योजना में भूतल का तलक्षेत्र उल्लिखित नहीं है। आवेदक भवन के भूतल और प्रथम तल के तलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थल योजना का प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री शिवप्पा सिद्दप्पा गुडागुंती, गुड्डल रोड, सीटीएस नंबर; 3258बी, अंडर ब्रिज के पास, हावेरी जिला-581110)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि यह भवन की मरम्मत के लिए है या निर्माण के लिए हैं जैसाकि फार्म 1/फार्म 2 और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में इसे मरम्मत दर्शाया गया है जबकि स्थल योजना में प्रस्तावित कार्य को भवन के निर्माण के रूप में दर्शाया गया है। आवेदक पूरी और सही सूचना तथा दस्तावेजों के साथ नया आवेदन पुन: भेजे।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री एन.के. राघवेंद्र, पुत्र स्वर्गीय एन.आर. कृष्णमूर्ति, #1202, श्री राघवेंद्र निलाया, कायनगाडी स्ट्रीट, नंजनगुडु, मैसूर जिला-571301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एएसएस. नं.1182/1145, कायंगडी बीड़ी, नंजनगुड में 7.60 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 61.50 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्रीमती पी. सुमति, 3-175-3ए, धनशाला, महावीर नगरा, करकल, कसबा तालुक, उडुपी जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर.एस. नंबर 248/6पी4, करकला, कस्बा, करकला तालुक, उडुपी जिला में 7.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ (मौजूदा) = 121.70 वर्गमीटर, 1एफ (प्रस्तावित) = 103.43 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के प्रस्तावित आवास के मौजूदा भूतल के अतिरिक्त प्रथम तल के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्रीमती अफ़रूज़ शहाना, रोशिनी पेरिंगडी, न्यू माहे, पीओ, कन्नूर-670102)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 10.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री अशोकन, कांजीरापराम्बिल हाउस, चौन्नूर, कुन्नमकुलम, पीओ, त्रिशूर-680517)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 97/33-1, वार्ड नंबर 10, गांव-चौन्नूर, तालुक-कुन्नामकुलम, जिला-त्रिशूर में 7.53 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 94.31 वर्गमीटर, ज1एफ = 116.67 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री अशोकन, कांजीरापराम्बिल हाउस, चौन्नूर, कुन्नमकुलम, पीओ, त्रिशूर-680517)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 97/18-5, चौन्नूर कुन्नमकुलम, त्रिशूर में 6.65 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 84.25 वर्गमीटर (मौजूदा), जीएफ = 25.40 वर्गमीटर (प्रस्तावित विस्तार), 1एफ= 110.26 वर्गमीटर (प्रस्तावित कुल क्षेत्र) तलक्षेत्र के आवासीय भवन के विस्तार के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्रीमती मेरी, पनालिक्कल हाउस, सुल्तान बैटरी पीओ, वायनाड-673592)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर सर्वे नं. 542/11 एटी, सुल्तान बाथरी, गांव-सुल्तान बाथरी, वायनाड जिला-केरल में 9.45 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ 1 मंजिल के साथ जीएफ = 133.17 वर्गमीटर (मौजूदा), 1एफ = 142.10 वर्गमीटर (कुल प्रस्तावित क्षेत्र) तलक्षेत्र के आवासीय भवन के प्रथम तल के विस्तार के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्री विजेश वी गोपुरथिगल वेलुथेदथ, वलप्पाड पीओ, त्रिप्रयार, त्रिशूर-680567)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को जीपीए धारक के नाम में आवेदन पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णण लिया क्योंकि आवेदन स्वामी के नाम में प्रस्तुत किया हुआ पाया गया है जबकि अन्य दस्तावेज अर्थात स्व-घोषणा और स्थल योजना आदि जीपीए धारक जो स्वामी की पत्नी हैं, द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री बैजू सीबी चनाडिक्कल हाउस, अवित्तथर पीओ, त्रिशूर-680683)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित भवन की सही ऊंचाई के साथ संशोधित/सही स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया क्योंकि फार्म-1/फार्म-2 और स्थल योजना में ऊंचाई समान नहीं है।

<u>मामला संख्या 11</u>

(श्रीमती गीता एवं अन्य, थेक्कट हाउस, उत्तरी नाडा, अवित्तथुर पीओ, त्रिशूर-680683)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 562/3टी3, गांव- कडुप्पसेरी, पंचयाथ-वेलुक्कारा, तालुक-मुकुंदपुरम, जिला-त्रिशूर में 4.15 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 40.97 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 12</u>

(श्रीमती सथी, मुथमट्टिल हाऊस, तिरुवंचिकुलम, कोडुंगल्लूर पीओ, त्रिशूर-680664)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 7/2, वार्ड नंबर XXI, गांव-मेथला, तालुक-कोडुंगल्लूर, त्रिशूर में 7.65 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 36.51 वर्गमीटर, 1एफ= 22.58 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 13</u>

(श्री जॉसी, वडक्कुट्ट नजरायिल हाउस, कक्कड़, कुन्नमकुलम, पीओ, त्रिशूर-680503)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 85/20-1-10, वार्ड नं. VII, कुन्नमकुलम, त्रिशूर में 6.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 129.25 वर्गमीटर (मौजूदा), जीएफ = 27.14 वर्गमीटर (प्रस्तावित विस्तार), 1एफ= 38.16 वर्गमीटर (प्रस्तावित कुल क्षेत्र) तलक्षेत्र के आवासीय भवन के विस्तार के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 14</u>

(श्री शेरीफ, एथुन्निंजलिल हाउस, ईयाल पीओ, त्रिशूर-680501)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 1175/पीटी1, ईयाल, कुन्नमकुलम, कदनगोडे में 7.05 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 75.49 वर्गमीटर, 1एफ= 13.95 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 15</u>

(श्री मोहम्मद नसीर थेक्कुमकारा, थेक्कुमकारा हाउस, नेल्लिकट्टिरी, पीओ, कूट्टानाड, पलक्कड़-679533)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 63/2-4, वार्ड नंबर XXI, पट्टांबी, तालुक-पट्टांबी, पलक्कड़, जिला में 18.63 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की

पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट+जीएफ+2 मंजिल+सीढ़ी कक्ष के साथ बीएफ = 891.77 वर्गमीटर, जीएफ = 894.83 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ = 905.67 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष = 47.82 वर्गमीटर और भूमितल के नीचे 02.63 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑनलाइन मामला

मामला संख्या 01

(श्री श्रीधर के., नं. 10 सुंदरवरधराजपेरुमल सन्नथी स्ट्रीट, उथिरामेरुर, 603406, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुराना नंबर 878/208 नया 1658/3सी, उथिरामेरूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 8.15 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 98.14 वर्गमीटर, एफएफ= 96.93 वर्गमीटर, खुला सीढ़ी क्षेत्र = 3.98 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 20.35 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, खाता/खतौनी नंबर 162/179, 18/17(7-12), जमाबंदी 2015-16, वीपीओ.संघोल तहसील खमानों जिला फतेहगढ़ साहिब पिन कोड 140802 पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 162/179,18/17(7-12), वीपीओ संघोल, खमानों, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में 7.38 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 66.00 वर्गमीटर, एफएफ= 66.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन

और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री हरमेश कुमार पुत्र सोम नाथ, खाता/खतौनी नं. 146/163, किला नंबर 18//23/1 (2-6), मालिक के सहरे 25/112, जमाबंदी 2015-16, वीपीओ संघोल, तहसील खमानों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 146/163: 18//23/1 (2-6) वीपीओ संघोल, खमानों, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में 7.38 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 166.38 वर्गमीटर, एफएफ= 92.64 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(विपुल रमेश चंद्र मेहता और अन्य, 7/ए, विक्रम सोसायटी, उस्मानपुरा गार्डन के पास, उस्मानपुरा, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एसपी नंबर 7/बी, एफपी नंबर 69+70+71, टीपीएस नंबर 3, एलिसब्रिज (उस्मानपुरा अनुभाग), उस्मानपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में 12.71 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 178.84 वर्गमीटर, 2एफ= 75.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑफ़लाइन मामले

<u>मामला संख्या 01</u>

(मिसलेनी बिस्वाल, प्लॉट नंबर 3161/4921, खाता नंबर 1331/1368 मौजा-गौतम नगर, सहार यूनिट- भुवनेश्वर)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 3161/4921, खाता नंबर 1331/1368 मौजा-गौतम नगर, सहार यूनिट-भुवनेश्वर में 7.45 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 178.2443 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्रीमती लैला और अन्य, चेम्ब्रयूर हाउस, वेल्लारक्कड़, वल्लार्कड पीओ, त्रिशूर-680584)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 630/1-12,630/1-13, वेल्लारक्कड़, कुन्नमकुलम में त्रिशूर में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 123.33 वर्गमीटर, 1एफ = 106.80 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>अतिरिक्त कार्यसूची</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्रीमती वीणा सिन्हा, श्री राम प्रवेश प्रसाद और श्रीमती रेणु कुमारी, 97 उदय पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि फॉर्म-I और फॉर्म-II में उल्लिखित स्वामित्व की स्थिति व्यक्तिगत है, जबकि स्व-घोषणा और संपत्ति दस्तावेजों में इसे संयुक्त स्वामित्व के रूप में वर्णित किया गया है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित नया आवेदन जमा करे।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री मोहम्मद आलम, ई-48. न्यू सीलमपुर, जाफराबाद, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया क्योंकि सम्पति दस्तावेज और स्वघोषणा में उल्लिखित स्वामित्व की स्थिति संयुक्त स्वामित्व है जबकि आवेदन में केवल एक स्वामी ने हस्ताक्षर किए हैं। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित नया आवेदन जमा करे।

मामला संख्या : 03

(श्री हंसराज शर्मा, सीपीएम आरएलडीए अहमदाबाद का कार्यालय, चौथी मंजिल, निर्माण भवन, डीआरएम कार्यालय के पास, असरवा (जीसीएस अस्पताल गेट नंबर 2 के सामने), अहमदाबाद गुजरात - 382345)

आवेदन पर विचार करने के बाद निम्नलिखित तथ्य पाए गये:

क अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर का नवीनीकरण और मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण शामिल है जिसमें 74.6+ मीटर ऊंचाई के दो आइकॉनिक ग्लास टावर लगाये जाने है। यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-I के वर्तमान प्रस्ताव में विशाल संरचनाओं का निर्माण शामिल है, जिसमें तलघर (तलघर + भूतल + 18 तल), वाली बहुमंजिला इमारतें, फ्लाईओवर रोड, कैनोपी, बावड़ी, लैंडस्केप प्लाजा और पार्सल क्षेत्र वाला स्टेशन भवन शामिल हैं। यह विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद की दीवारों वाले शहर के बफर जोन में आता है और सोलहवीं शताब्दी की दो असामान्य आइकॉनिक संरचनाओं और केंद्रीय रूप से संरक्षित संस्मारको अर्थात सिदी बशीर के मीनारों और मकबरे (झूलता मीनार) की हिलती मीनारों और ईंट मीनार, जो कि उसी अवधि की एक असामान्य टेराकोटा इमारत है, के नजदीक स्थित है।

ख पूर्व में प्राधिकरण ने विश्व धरोहर स्थल में 18 मीटर तक की और विश्व धरोहर स्थल के बाहर अधिकतम 22.80 मी तक की अधिकतम ऊंचाई की सिफारिश की थी। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना के संबंध में विरासत संरक्षण समिति, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से उनके विचार/टिप्पणियाँ प्राप्त की गईं।

2. विरासत संरक्षण समिति, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं, जिन्हें शब्दशः नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"एचसीसी ने सेंटर फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन (सीएचसी), सीईपीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन (सीआरडीएफ), अहमदाबाद और नेशनल सेंटर फॉर सेफ्टी ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, (एनसीएसएचएस), राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी-चेन्नई द्वारा बनाई गई रेलवे के प्रस्तावित निर्माण की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का अध्ययन किया। ये रिपोर्ट स्पष्ट

रूप से कह रही हैं कि इन एएसआई संरक्षित संस्मारकों के पास कोई भी संरचना 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी, एनएमए, गांधीनगर कार्यालय भी रेलवे की आगामी परियोजना के स्थान के बारे में काफी आशंकित हैं, जो इन दो केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के नजदीक स्थित होने वाली है। उनका मानना है कि प्रस्तावित निर्माण से "नींव/सुपर संरचना का निर्माण होगा और जिससे अपरिहार्य स्थिति पैदा हो सकती है।'' एचसीसी, अहमदाबाद निश्चित रूप से 73+ मीटर की ऊंचाई वाले बफर जोन में ऐसे किसी भी निर्माण की सिफारिश नहीं करेगा और चाहेगा कि इसे उन सीमाओं के भीतर रखा जाये जो एनएमए द्वारा आम तौर पर एएसआई संरक्षित संस्मारकों के लिए निर्धारित की जाती है। सीआरडीएफ की रिपोर्ट को देखते हुए कि निर्माण के कारण एएसआई संरक्षित इन दोनों संस्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं है, एचसीसी निश्चित रूप से इन दो इमारतों के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतना चाहेगा; एक तो यह कि इनका हिलाने वाला स्वरूप अभी भी एक रहस्य है और दूसरा वह संस्मारक जो टेराकोटा मीनारों की एकमात्र जोड़ी है जो अभी भी बरकरार है। एचसीसी ने यह भी दृढ़ता से महसूस किया कि रेलवे स्टेशन का पूर्वी भाग नए कार्यालय भवनों, यात्री निवास जैसे सुविधाओं के लिए अधिक उपयुक्त है जो प्रस्तावित आईकोनिक इमारत में प्रदान की जानी अपेक्षित है। विश्व धरोहर संपत्ति सीमा के समानांतर प्रस्तावित एलिवेटेड सड़कों से बचा जाना चाहिए और स्टेशन के पूर्वी हिस्से की ओर जाने वाले कनेक्शन को सरंगपुर और असरवा पुलों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद विकसित होने वाले वास्तुशिल्प डिजाइनों पर हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी (एचसीसी) अहमदाबाद के साथ चर्चा की जानी चाहिए और उसके बाद जरूरत पड़ने पर प्रस्ताव को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। एनएमए कृपया एचसीसी, अहमदाबाद के विचारों को देखे और एएसआई, जो कि राज्य का पक्षकार है, के माध्यम से यूनेस्को के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ-साथ अपने विचार भेजने के लिए उचित निर्णय ले सकता है।

3. विरासत संरक्षण समिति, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि आवेदक को सूचित किया जाये कि वे उपर्युक्त अवलोकनों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करे।